HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 6th October, 2006

S.O. 99/H.A.6/2003/S. 59/2006. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 11 /H.A.6/2003/S.59/2006, dated the 13th September, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule A, at serial number 7, for the existing explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation:-For the purpose of this entry "oil company means" M/s Indian Oil Corporation Limited, M/s Bharat Petroleum Corporation Limited, M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited, M/s Indo Burma Petroleum Corporation Limited, M/s Reliance Industries Limited and M/s Numaligarh Refinery Limited".

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अक्तूबर, 2006

संख्या का0आ0 99/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2006.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 11/ह0अ06/2003/धा059/2006, दिनांक 13 सितम्बर, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची क में, क्रम संख्या 7 में, विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''व्याख्याः–इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ''ऑयल कम्पनी'' से अभिप्राय है, मैसर्ज इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्ज नुमालीगढ़ परिष्करणी लिमिटेड।''।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।